न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 289 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 08.10.2015

कमलादेवी पत्नि रामेश्वर जाति बलाई निवासी छोटी हरणी तहसील व जिला भीलवाडा

–अपीलांट

विरुद्ध

1. चांदी पत्नि मांगु जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगु पिता दल्ला जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. जीतु पिता बालु जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. बक्तु पिता किशना जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. नाराणी पत्नि बालु जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. लेहरी पत्नि लेहरू जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 110/2013 रेवेन्यू वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015

उपस्थित– 1. कृष्णगोपाल व्यास–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चंदनमल जणवा – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7

(2) प्रकरण संख्या – डिक्री 288 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 08.10.2015

कमलादेवी पत्नि रामेश्वर जाति बलाई निवासी छोटी हरणी तहसील व जिला भीलवाडा

–अपीलांट

विरुद्ध

1. चांदी पत्नि मांगु जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगु पिता दल्ला जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. जीतु पिता बालु जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. बक्तु पिता किशना जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. नाराणी पत्नि बालु जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. लेहरी पत्नि लेहरू जाति मेघवाल निवासी नरबदिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
7. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 110/2013 रेवेन्यू वाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2015

उपस्थित- 1. कृष्णगोपाल व्यास-अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चंदनमल जणवा - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7

निर्णय **दिनांक 22.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट 1 से 6 वादीगण की संयुक्त कृषि आराजीयात मोजा गंगरार तहसील गंगरार की खाता सं. 180 मे दर्ज आराजी नम्बर 3859, 3860, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870 कुल किता 7 कुल रकबा 5.83 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमे रेस्पोडेन्टगण वादीगण का 6/7 व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसका कोई बंटवाडा नही हुआ है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के मन मे खराबी व शंका होने से आये दिन मेड पाली का झगडा होता रहता है। आये दिन रेस्पोडेन्टगण वादीगण व अपीलान्ट प्रतिवादिया के मध्य कब्जे को लेकर विवाद होता रहता है जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण व अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 का रेकार्ड व मौके पर हिस्से अनुसार खाता अलग-अलग कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो तामील होकर प्राप्त हुए। अपीलान्ट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते तनकियात नियत की गई। उक्त पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उक्त पत्रावली मे वास्ते साक्ष्य वादी नियत रहते हुए उक्त पत्रावली दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गंगरार मे नियत की गई जिसमे दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित हुए व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु सहमत हुए। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.07.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री सहमति के अनुसार पारित किये। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवाडा तलब किया गया। तहसीलदार गंगरार से पत्रावली मे फर्द बंटवाडा प्राप्त होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.08.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे दोनो निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अलग-अलग अपीले प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

। दोनो अपीलो मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के पक्षकारान समान होने से दोनो अपीलो मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलियो मे संलग्न रहे।

प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 289/2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 288/2015 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादी सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावलियां की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत किया गया।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 289/2015 म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 289/2015 प्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं.1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 प्रार्थिया अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने की ओर से अपील के विचाराधीन रहते हुए आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर विवादित कृषि आराजीयात का संपरिवर्तन आदेश प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी को दिलाई गई। अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पर अपील के साथ उभयपक्षकारो की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संपरिवर्तन आदेश जो प्राधिकृत अधिकारी से दिनांक 16.10.2015 को अपील के विचाराधीन रहते हुए प्राप्त करना अंकित किया है। उक्त आदेश विवादित कृषि आराजीयात की अपील के विचाराधीन रहते हुए प्राप्त किया है जो स्वीकार योग्य नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण 1 से 6 वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादिया व रेस्पोडेन्ट सं. 7 के विरूद्ध मोजा गंगरार तहसील गंगरार की खाता सं. 180 मे दर्ज आराजी नम्बर 3859, 3860, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870 कुल किता 7 कुल रकबा 5.83 हैक्टेयर भूमि जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 व रेस्पोडेन्टगण 1 से 6 वादीगण प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लान्ट प्रतिवादी सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किये। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.02.2014 को तनकियात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी नियत की गई। दिनांक 07.07.2015 तक उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी विचाराधीन थी। उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प गंगरार मे नियत की जाकर उभयपक्षो के अधिवक्ताओ की उपस्थिति दर्ज कर पत्रावली मे राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 को पारित किये। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर से फर्द बंटवाडा तलब किया गया। जिस पर कमिश्नर ने अपीलान्ट प्रतिवादिया को बिना सूचित किये राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर अपीलान्ट प्रतिवादिया की अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त फर्द बंटवाडे पर अपीलान्ट प्रतिवादिया की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये। प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 राजस्व लोक अदालत के तहत बिना लिखित राजीनामे के पारित किये गये जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील डिक्री 289/2015 व बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर जो फर्द बंटवाडा कमिश्नर के द्वारा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार दिनांक 19.08.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये। उक्त अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 288/2015 प्रस्तुत की है। अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण वादीगण सं. 1 से 6 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो विधिवत तामील होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्राप्त हुए व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ उसके पश्चात् अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे तनकियात कायम की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 नियत की गई। पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वास्ते साक्ष्य वादी विचाराधीन रहते हुए पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गंगरार मे नियत की गई। जिसमे उपभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडे किये जाने हेतु प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु सहमति दी। उभयपक्षो की सहमति के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये। प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे नियुक्त कमिश्नर तहसीलदार गंगरार के द्वारा फर्द बंटवाडा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर उभयपक्षकारान को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले अपील क्रमांक डिक्री 289/2015 व अपील क्रमांक डिक्री 288/2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 ने सम्मन नोटिस की पालना मे उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य के विचाराधीन रहते हुए पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे नियत की गई। राजस्व लोक अदालत मे उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने की सहमति व्यक्त की। उभयपक्षो की सहमति के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर कमिश्नर तहसीलदार गंगरार को फर्द बंटवाडा तलब किये जाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार गंगरार के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा तैयार करवाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिससे अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा गंगरार तहसील गंगरार की कृषि आराजीयात जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 वादीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 प्रत्येक के 1/7, 1/7 संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है, के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 उपस्थित होकर अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 07.07.2015 तक नियत रहते हुए दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गंगरार मे नियत की गई। राजस्व लोक अदालत मे उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने की सहमति व्यक्त की। सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। जिसके आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार दिनांक 07.07.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपील क्रमांक डिक्री 289/2015 प्रस्तुत की जो स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 की पालना हेतु तहसीलदार गंगरार को फर्द बंटवाडा तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर को उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया जाना था। कमिश्नर ने पक्षकारान को बिना सूचित किये बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से फर्द बंटवाडा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उसी फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.08.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक 288/2015 स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 अपील क्रमांक डिक्री 289/2015 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण संख्या 110/2013 रेवेन्यू वाद मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 07.07.2015 यथावत रखे जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

अपील क्रमांक डिक्री 288/2015 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2015 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 की पालना मे कमिश्नर स्वयं के द्वारा उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान के हक, हिस्से, कब्जे व आवागमन के रास्ते को मध्यनजर रखते हुए फर्द बंटवाडा, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरूप तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तलब करे। फर्द बंटवाडे पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 06.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रति के साथ आगामी कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)